SITAPUR POLICE

प्रेस नोट जनपद सीतापुर

"अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance)"

नशा तस्करों पर सीतापुर पुलिस का बड़ा प्रहार: भारी मात्रा में नशीली गोलियां (Alprazolam), नशीले इंजेक्शंस (Tramadol) व ₹11,700/- की बिक्री नकदी के साथ 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक:-21.09.26

उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा नशे के अवैध कारोबार और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे **"ज़ीरो टॉलरेंस"** अभियान के क्रम में, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल** के कुशल निर्देशन, **श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) श्री आलोक सिंह** व **श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार यादव** के पर्यवेक्षण में तथा **प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री दिनेश प्रकाश पाण्डेय** के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनांक 21.09.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए **मु0अ0सं0 0282/2026 धारा 8/22 NDPS एक्ट** में वांछित 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से अवैध स्वापक औषधि (नशीली गोलियां व नशीले इंजेक्शन) तथा बिक्री से अर्जित ₹11,700/- की नकदी बरामद की गई है।

बरामदगी का विस्तृत विवरण:

1. **अवैध नशीली गोलियां:** 04 अदद/पैकेट Alprazolam Tablets I.P. 0.5 mg (ब्रांड: "OHMS ALPHA 0.5" - कुल 8x5x15 यानी 600 स्ट्रिप/गोलियां)
2. **अवैध नशीले इंजेक्शंस:** 80 अदद TRAMADOL HYDROCHLORIDE INJECTION (धारिता: 2 ML)
3. **बिक्री की नकदी:** ₹11,700/-

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

- **नाम अभियुक्त:** विश्वनाथ मिश्रा पुत्र जगदेव प्रसाद मिश्रा **वर्तमान पता:** मोहल्ला तरीनपुर, थाना कोतवाली नगर, जनपद सीतापुर **स्थाई पता:** ग्राम जिहूरी, थाना रामकोट, जनपद सीतापुर

- **संबंधित अभियोग:** मु0अ0सं0 0282/2026 धारा 8/22 NDPS एक्ट, थाना कोतवाली नगर, सीतापुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. **उपनिरीक्षक** रामचंद्र यादव (थाना कोतवाली नगर, सीतापुर)
2. **उपनिरीक्षक** मंजीत कुमार खरवार (थाना कोतवाली नगर, सीतापुर)
3. **कांसटेबल** मोहित कुमार (थाना कोतवाली नगर, सीतापुर)
4. **कांसटेबल** सुरजीत सिंह (थाना कोतवाली नगर, सीतापुर)

विधिक कार्यवाही :

अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0282/2026 धारा 8/22 NDPS एक्ट के तहत नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत/प्रेषित किया जा रहा है। जनपद में नशे के अवैध कारोबार में लिप्त अन्य असामाजिक तत्वों के विरुद्ध भी यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।